# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 93/2023(GCMS : 2023/ )

1. **महेन्द्र सिंह** पुत्र श्री बिला सिंह जाति रायसिख निवासी 4 सी बडी हसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

**बनाम**

1. **जगदीश सिंह** पुत्र श्री बाघ सिंह जाति रायसिख निवासी 8 केएनडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. **मलकीत सिंह** पुत्र श्री फौजा सिंह जाति रायसिख निवासी 4 सी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2023

**पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी महेन्द्र सिंह** ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 आरटीए के विचाराधीन प्रकरण अनवानी महेन्द्र सिंह बनाम जगदीश सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था।

**मैनें,** सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी एवं **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र हायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अनवानी महेन्द्र सिंह बनाम जगदीश सिंह आदि अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और हायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 10.07.2023 को निर्णय पारित किया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार** पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:00:50 IST
Reason: SelfAttested